रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्ये"B 2, 1939
No. 401] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 500(अ).—सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

1. (1) इन नियमों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिषेध (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिषेध नियम, 2008 में, नियम 4 में, उप-नियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(3) धूम्रपान के लिए उपलब्ध कराए गए किसी भी धूम्रपान स्थल अथवा स्थान पर किसी सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

(3क) किसी होटल, रेस्टोरेंट अथवा हवाई अड्डे के स्वामी, प्रॉपटाईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक अथवा मामलों के प्रभारी पर धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान के प्रवेश द्वार पर 60×30 से.मी. के न्यूनतम आकार का एक सफेद बोर्ड लगाएंगे तथा उस पर काले रंग से अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा, जो भी लागू हो, में संदेश लिखेंगे कि—

(i) धूम्रपान आपके तथा धूम्रपान न करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; तथा

(ii) अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश निषेध है।"

[फा. सं. पी-16011/04/2016-पीएच-I]

अरूण कुमार झा, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 417(अ) दिनांक 30 मई, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात सं. सा.का.नि. 680(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 2009 के तहत इन्हें संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

G.S.R. 500(E).—In exercise of the power conferred by section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prohibition of Smoking in Public Places Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prohibition of Smoking in Public Places (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prohibition of Smoking in Public Places Rules, 2008, in rule 4, for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) No service shall be allowed in any smoking area or space provided for smoking.

(3A) The owner, proprietor, manager, supervisor or in charge of the affairs of the hotel, restaurant or airport, shall display a board at the entrance of the smoking area or space of minimum size of 60×30 cm with a white background and having the message in English and one Indian language as applicable in black colour that—

(i) tobacco smoking is harmful to your health and the health of non-smokers; and

(ii) entry of person below the age of eighteen years is prohibited.".

[F. No. P-16011/04/2016-PH-I]

ARUN KUMAR JHA, Economic Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 417(E), dated the 30th May, 2008 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 680(E), dated the 15th September 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.23 21:52:16 +05'30'